बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या- 5/आ0-1-102/2012- 222 पटना, दिनांक- 14/03/18

निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा मधेपुरा जिला अंतर्गत शंकरपुर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कार्य की जांच का प्रतिवेदन निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-119 दिनांक 05.01.2012 द्वारा उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन में अन्य पदाधिकारियों के साथ श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध प्रक्रियात्मक त्रुटि/ अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के मद्देनजर श्री दिसवा से विभागीय पत्रांक-193 दिनांक 11.04.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री दिसवा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरान्त उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक त्रुटि बरतने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं0-411 दिनांक-30.08.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना द्वारा पत्रांक-459 दिनांक-18.06.2014 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

4. जांच प्रतिवेदन में निष्कर्षत: यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री किशुनदेव दिसवा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार पर लगाये गये सभी आरोप संख्या (1) से (3) प्रमाणित नहीं होते है।

5. जांच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक-853 दिनांक-28.10.2014 द्वारा श्री दिसवा से द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री दिसवा के पत्रांक-73 दिनांक 23.01.2015 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री दिसवा के प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा संप्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14(VI) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- **3 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।**

7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/3/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-102/2012- 222 पटना, दिनांक- 14-03-18

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग (वै.दा.नि.को.), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-102/2012- 222 पटना, दिनांक- 14-03-18

प्रतिलिपि:- सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/18

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव
14/3/18